इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र. एफ-1-02-2011-साठ.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 57 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वह व्यक्ति या प्राधिकारी, जो राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि का प्रशासन करेगा, तथा वह रीति जिसमें ऐसी निधि प्रशासित होगी, को उपबंधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियम, 2010 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52)

(ख) ''उपकर'' का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 2 के खण्ड (क) में इसे यथा समनुदेशित किया गया है.

(ग) ''शासन'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(घ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ङ) ''एस एल एस सी'' से अभिप्रेत है राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के प्रयोजन के लिए गठित की गई राज्य स्तरी स्टीरिंग समिति;

(च) ''राज्य पदाभिहित एजेंसी (एस डी ए)'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुरूप यथा राज्य पदाभिहित एजेंसी के रूप में नामनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं. किन्तु परिभाषित नहीं है का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

3. **राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि का गठन (संक्षिप्त में ई सी एफ)** .— (1) राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रशासित होगी.

(2) ई सी एफ की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य में ऊर्जा के उन्नयन तथा दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोगी होगी.

(3) ई सी एफ में वह समस्त अनुदान तथा ऋण जमा होंगे जो मध्यप्रदेश शासन या केन्द्रीय सरकार, या किसी स्वशासी निकाय/एजेंसी/कम्पनी/व्यक्तिगत निकाय द्वारा कथित प्रयोजन के लिए, लिए जा सकेंगे.

(4) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए किसी कर के आगम, उद्ग्रहण, शुल्क या उपकर निधि में जमा किए जा सकेंगे.

4. **ई सी एफ का लागू होना.**— ई सी एफ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लागू होगा:—

(एक) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं उद्योगों, व्यावसायिक संगठनों विद्यार्थियों, किसानों आदि को ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग से सबंधित जानकारी के प्रसार के लिये विभिन्न चेतना कार्यक्रम के लिए व्यय उपगत करना.

(दो) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा भारत तथा विदेश में उत्तम व्यवहार के लिए, अध्ययन दौरों, अभिदर्शन, निरीक्षणों, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण के लिये कार्मिकों तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए उपगत व्यय की पूर्ति करना;

(तीन) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में गवेषणा तथा विकास की अभिवृद्धि के लिए;

(चार) ऊर्जा के उपभोग दक्षता तथा प्रबंध के लिये परीक्षण, प्रमाणन तथा सत्यापन के लिए आवश्यक उपस्करों तथा स्रोतों का विकास करना;

(पांच) ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये परीक्षण, प्रमाणन तथा सत्यापन के लिये आवश्यक उपस्करों तथा स्रोतों का विकास करना;

(छह) उपस्कर, युक्ति तथा प्रणाली के लिये ऊर्जा दक्षता प्रक्रिया के उपयोग को प्रोन्नत करना;

(सात) मध्यप्रदेश राज्य में क्रियान्वित केन्द्रीकृत प्रायोजित योजनाओं तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरों की योजनाओं को अनुरूपयोगी अनुदान की पूर्ति करना;

(आठ) अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा उपगत सभी अनुषंगित तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति करना;

(नौ) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के लिये, कर्मचारिवृन्द पर उपगत व्यय की पूर्ति.

(दस) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रचार-प्रसार, स्थापना एवं संचालन के लिए राज्य की नीति अनुसार किए जाने वाले व्यय एवं इससे संबंधित आनुषंगिक प्रयोजनों हेतु किए जाने वाले व्यय की पूर्ति.

5. **राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस एल एस सी).**— (1) एस एल एस सी (राज्य स्तरीय संचालन समिति) की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी.

(2) एस एल एस सी के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को मार्गदर्शन तथा समर्थन उपलब्ध करना;

(ख) राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष से मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन करना;

(ग) राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष से मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा किए गए क्रियाकलापों का पुनरीक्षण एवं मॉनीटर करना.

6. **ई सी एफ का प्रचालन** .— (1) अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (घ) अधीन अधिसूचित मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, उसके प्रबंध संचालक के माध्यम से राज्य स्तरीय संचालन समिति के सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन ई सी एफ का प्रर्वतन करेगा.

(2) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ई सी एफ से निधिबद्ध किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा इसे राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदित करायेगा.

(3) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित बजट के अनुरूप उपलब्ध निधि का उपयोग करेगा.

(4) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ई सी एफ के लिए पृथक् खाता संधारित करेगा तथा छमाही आय और व्यय का विवरण राज्य स्तरीय संचालन समिति को नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा.

(5) ई सी एफ में जमा की गई निधि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पृथक् में जमा की जाएगी.

(6) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, खाते का संचालन लागू नियमों और विनियमों के अनुसार करेगा.

7. **राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि को लागू शर्तें.**— (1) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ई सी एफ की अधिशेष निधि को इस प्रकार विनिहित करेगा कि वह भारत सरकार की अधिमानत: राष्ट्रीकृत बैंकों के स्माट खाते के रूप में किए गए विनिधान पर (सबसे अच्छी) उत्तम वापसी उपार्जित कर सकें.

(2) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा संरक्षण निधि के विनिधान से अर्जित ब्याज आय का उपयोग, उसकी वार्षिक, आवर्ती और अनावर्ती व्यय, जिसमें परिवहन आवश्यकताओं, यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते तथा कार्यालय के साजसामान सम्मिलित हैं, के लिए उपयोग कर सकेगा.

8. **खातों की संपरीक्षा** .— ई सी एफ के खातों की वार्षिक संपरीक्षा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जाएगी एवं एस एल एस सी के समक्ष रखी जाएगी.

9. **ई सी एफ का समापन** .— ई सी एफ अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के प्रवृत्त रहने तक प्रवर्तन में रहेगा.

(2) ऊर्जा संरक्षण निधि के बंद होने के समय, जबकि लम्बे समय निधि की आवश्यकता न हो, ऊर्जा संरक्षण निधि के अधीन व्यय न किया गया शेष, शासकीय कोषालय में विप्रेषित किया जाएगा.

No. F1-02-2010-LX.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 57 read with sub-section (4) of section 16 of the Energy Conservation Act, 2001 (No. 52 of 2001), the State Government, hereby makes the following rules for providing the person or authority who shall administer the Stat Energy conservation Fund and the manner in which such Fund shall be administered, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called Madhya Pradesh State Energy Conservation Fund Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their Publication in the official Gazette.

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (No. 52 of 2001);

(b) "cess" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982);

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Section" means the section of the Act;

(e) "SLSC" means the State level steering committee constituted for the purpose of State Energy Conservation Fund;

(f) "State Designated Agency (SDA)" means the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam nominated as State Designated Agency as per the provision of clause (D) of section 15 of the Act;

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Constitution of the State Energy Conservation fund (ECF in short)**.—(1) The State Energy Conservation Fund shall be administrated by the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam.

(2) The proceeds of the ECF shall be utilized for the purpose of promotion of and efficient use of energy and its conservation in the state of Madhya Pradesh.

(3) The ECF shall be credited all grants and loans that may be made by the Madhya Pradesh Government or Central Government of any autonomous body/agency/company/individual body for the stated purpose.

(4) The funds may be credited the proceeds of any tax, levy, duty or coss imposed by the State Government.

4. **Application of the ECF**.—The ECF shall be applied for the following purposes:—

(1) To incur expenditure through the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam for various awareness Programmes for disseminating information to individual consumers, industries, commercial organizations, students, farmers etc., regarding energy conservation and efficient use of energy;

(2) To meet the expenditure incurred by the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam for training of personnel and specialists for efficient use of energy and its conservation including study tours, exposure visits, interactive exchanges for best practices within India and abroad;

(3) For promotion of research & development in the field of Energy Conservation;

(4) To develop necessary equipments and resources for testing certification and verification for consumption, effciency and management of energy;

(5) To develop & execute demonstration projects related to energy conservation and energy efficiency and to contribute in the projects of Bureau of Energy Efficiency and Central Government;

(6) To promote the use of energy efficient processes for the equipments, devices & systems;

(7) To meet the matching grant to the centrally sponsored schemes and schemes of Bureau of Energy Efficiency implemented in the State of Madhya Pradesh;

(8) To meet all the incidental & administrative expenses incurred by the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam for implementation of the provisions of the Act;

(9) To meet the expenses incurred by Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam on staff for energy conservation cell.

(10) To incur all incidental & administrative expenses incurred for promotion, installation and maintenance of renewable energy project, as per the policey of State Government and all expenses done in furtherance of above goals.

5. **State level steering committee (SLSC).**—(1) The meeting of SLSC shall be held at least once in every three months.

(2) SLSC shall have following function:—

(a) To provide guidance and support to Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam for carrying our the energy conservation and energy effciency activities through State Energy conservation Fund;

(b) To approve the annual budgets for carrying out of the energy conservation and energy efficiency activities by Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam from the State Energy conservation Fund;

(c) To review and monitor the progress of activities carried out by Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam from the State Energy Conservation Fund.

6. **Operation of the ECF.**—(1) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam notified under clause (d) of section 15 of the Act shall operate the ECF under the general Guidance of State Level Steering Committee through its managing Director.

(2) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam shall prepare the annual budget for activities to the funded from ECF before beginning of the financial year and get it approved by the State Level Steering Committee.

(3) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam shall utilize the fund available as per the budget approved by the State level steering committee.

(4) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam shall maintain separate accounts for the ECF and shall furnish six monthly income and expenditure to State Level Steering committee on regular basis.

(5) The Funds credited to ECF shall be deposited in separate bank account in a nationalized bank.

(6) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam shall operate accounts as per the applicable rules and regulations.

7. **Conditions applicable to the State Energy Conservation fund.**—(1) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam shall invest the surplus ECF in such a way that it earns best return on its investment in the bank/Institutions of the Government of India, preferably as smart accounts in nationalized banks.

(2) The Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam may use the interest income earned from investment of the ECF to meet its annual recurring and non-recurring expenditure including transport needs, Traveling Allowance and Dearness allowance and office equipment.

8. **Audit of Accounts.**—The accounts of the ECF Shall be audited by the Chartered Accounts annually and put up before SLSC.

9. **Closure of ECF.**—(1) The ECF shall remain operative so long as the relevant provisions of the Act remain in force.

(2) At the time of closure of EFC, when the fund is no longer required, all the unspent balance under the EFC shall be remitted into the Government Treasury.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.